

**निविदा का प्रारूप**  
**कार्यालय अधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढी ।**  
**निविदा सूचना (वित्तीय वर्ष 2016-17)**

मंडल कारा, सीतामढी में वार्षिक अवधि दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31.03.2017 तक एवं त्रैमासिक (i) दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 30.06.2016 (ii) दिनांक 01.07.2016 से दिनांक 30.09.2016 (iii) दिनांक 01.10.2016 से दिनांक 31.12.2016 एवं (iv) दिनांक 01.01.2017 से दिनांक 31.03.2017 तक की अवधि के खाद्यान्न, खाद्य-सामग्री, विविध-सामग्री, आलू, फल एवं मौसमी हरी-सब्जियों के क्रय के लिए दिनांक 23.01.16 के अपराह्न 02:00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सीलबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। जिसे दिनांक 25.01.16 के 03:00 बजे अपराह्न जिला पदाधिकारी, सीतामढी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय-कक्ष में कारा क्रय सामात द्वारा निविदाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोला जाएगा। निविदादाता का स्वयं या प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में उनके द्वारा दिए गए निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदाएँ हाथों-हाथ कारा कार्यालय में निर्धारित तिथि समय के अन्दर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा तदुपरान्त प्राप्त होने वाले निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदाओं में प्राप्त न्यूनतम दर को या निगोशियेशन द्वारा प्राप्त न्यूनतम दर दोनों प्रक्रिया यथाआवश्यक स्वीकृत की जाएगी। निविदादाताओं को प्रमुख खाद्यान्नों एवं गुड़ का एक-एक किलो नमूना स्वयं के खर्च पर लाना होगा।

**निविदा हेतु निम्नलिखित तकनीकी शर्तें होंगी :-**

(1) कारा निरीक्षणालय के पत्रांक 6952 दिनांक 14.11.07 के अनुसार खाद्य एवं विविध सामग्रियों के निविदा में भाग लेने हेतु अग्रधन (अर्नेस्ट मनी) बैंक गारंटी के रूप में मो 40,000.00 (चालीस हजार रुपये मात्र) एवं त्रैमासिक अवधि (हरी सब्जी फल इत्यादि) के लिए मो 10,000.00 (दस हजार रुपये मात्र) अधीक्षक मंडल कारा, सीतामढी के पदनाम से प्रतिज्ञित कर मूल रूप में देना होगा। जिसे सफल निविदादाताओं के उनके द्वारा लिए गए सामग्री का सत्यकार राशि जमाकर टीकाबंध करने के उपरांत वापस कर दिया जाएगा एवं अक्षम निविदादाता अपने बैंक गारंटी को वापस करने का अनुरोध निविदा प्रक्रिया समाप्ति पर कर वापस ले सकते हैं।

(2) प्रमुख खाद्यान्न-खाद्य सामग्रियों के निविदादाताओं को आयकर, वाणिज्यकर का निबंधन प्रमाण-पत्र एवं अद्यतन अवधि (विगत वर्ष) का आयकर रिटर्न तथा वाणिज्यकर का अद्यतन (विगत वर्ष) के भुगतान का प्रमाण-पत्र सलग्न कर, आयकर अधिनियम 44A,B के अनुसार विगत तीन वर्षों का टैक्स ऑडिट रिपोर्ट चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रस्तुत करना होगा।

नोट :- कोयला, लकड़ी, मुर्गा का मॉस, गोहूँ, पिसाई, दतवन, हरी सब्जी के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सेक्सन 44 A B आयकर अधिनियम- 1961 की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) खाद्यान्न के निविदादाताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार अनुज्ञप्ति/पंजीकृत रहना एवं प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(4) निविदादाताओं को जिला पदाधिकारी, द्वारा निकट अवधि का चरित्र प्रमाण-पत्र देना होगा।

(5) तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएँ अलग-अलग लिफाफों में देना होगा एवं लिफाफा के उपर स्पष्ट लिखना भी होगा।

(6) निविदादाता को किसी प्रतिष्ठान/संस्थान से कालीकृत नहीं होने या एतद् संबंधी प्रक्रियाधीन नहीं होने तथा उनपर कोई क्रिमिनल या देनदारी का मुकदमा नहीं होने का शपथ-पत्र देना होगा साथ ही उनके द्वारा विगत वर्षों में टीका लेकर टीकाबंध नहीं करने का, आपूर्ति नहीं देने का कोई मामला लम्बित नहीं हो का भी उल्लेख उक्त शपथ पत्र में होना अनिवार्य होगा।

6-1-16



### वित्तीय शर्तें:-

- (1) प्रत्येक सामग्रियों के लिए इकाईवार रूप से दर उल्लेखित करना होगा।
- (2) संवेदकों द्वारा निविदा सामग्री का अंकित दर/बाजार दर से बहुत अधिक या कम रहने पर उस पर विचार नहीं किया जायेगा और निविदा के उस सामग्री के अंकित दर को अमान्य कर दिया जायेगा।
- (3) सामग्रियों का दर पूर्णांक में मान्य होगा।

### अन्य शर्तें:-

- (1) निविदादाता को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में सीलबंद कर देना होगा।
  - (2) एकल निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
  - (3) सभी सामग्रियों की आपूर्ति मैट्रिक प्रणाली में नमूना के अनुरूप बनावन रहित सभी व्यय-करों के साथ कारा भंडार पर आपूर्क को अपने बोरों-कंटेनरों जिस पर " कारा में आपूर्ति हेतु" लिखा हो, आपूर्ति करना होगा, जिसे खाली होने पर बिना क्षतिपूर्ति आपूर्क के मांग पर वापस कर दिया जायेगा, वैसे सामग्री जो कम्पनी/पैकेट/कंटेनरों में होगें खाली होने पर भी वापस नहीं होगा। दत्तवन, हरी सब्जी ताजा एवं आवश्यकता और माँग के अनुरूप दैनिक आधार पर आपूर्ति करना होगा। निविदादाताओं को सुनिश्चित करना होगा कि उनका दर स्थानीय बाजार दर के अनुरूप हो। उनके द्वारा अंकित दर बाजार दर से काफी कम अथवा काफी अधिक रहने पर उनके निविदा के उस सामग्री के दर पर विचार नहीं किया जायेगा। आलू, प्याज एवं हरी सब्जियों के लिए वर्ष के चारों त्रैमासिक अवधि की निविदा अलग-अलग पन्नों में ही स्वीकार की जायेगी।
  - (4) सफल निविदादाताओं को आपूर्ति होने वाले सामग्रियों के वार्षिक अनुमानित मूल्य का 10% सत्यकार- राशि बैंक गारंटी के रूप में काराधीक्षक के पदनाम से प्रतिज्ञित करने के एवं ठीकावध पर हस्ताक्षर करने के बाद ही आपूर्ति का आदेश दिया जायेगा। ठीका लेकर मुकर जाने/समय पर आपूर्ति न करने या गुणवत्ता के अनुरूप आपूर्ति नहीं करने पर बिना पूर्व सूचना के अन्य स्रोत से आपूर्ति ले ली जायेगी तथा इस पर होने वाले अधिकाई व्यय की राशि को संबंधित आपूर्क के लघित विपत्र या सत्यकार राशि के बैंक गारंटी से समाप्तोजित कर लिया जायेगा एवं भविष्य में होने वाले निविदा से उन्हें वंचित कर दिया जायेगा और कालीकरण की कारवाई भी की जायेगी। कारा क्रय समिति को यह अधिकार होगा कि निविदादाताओं द्वारा किसी भी सामग्री का व्यवहारनुकूल (Viable) दर नहीं प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित निविदादाता के उस सामग्री के दर को अमान्य कर दिया जायेगा। आरंभ के अभाव में भुगतान लघित रहने पर आपूर्ति बाधित नहीं करना होगा। क्रय समिति द्वारा प्राप्त नमूना स्वीकार करने पर न्यूनत दर स्वीकृत किया जायेगा।
  - (5) सभी निविदाएँ कम्प्यूटराईज्ड/टंकित होना अनिवार्य है, अन्यथा स्वीकार योग्य नहीं होगी।
  - (6) यह जानकारी सीतामढ़ी जिले के बेवसाईट पर भी देखी जा सकती है।
  - (7) विशेष जानकारी एवं निविदा सूचना की प्रति किसी भी कार्य दिवस एवं कार्यालय अवधि में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
  - (8) क्रय समिति को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि निविदा को बिना कारण बताये रद्द कर सकती है।
  - (9) सभी सामग्री बनावन रहित एवं अच्छी गुणवत्तायुक्त आपूर्ति करना होगा। साथ ही वस्तुओं की दरें सभी आकस्मिक खर्च एवं कारा गोदामों तक पहुँचाने के साथ-साथ सभी प्रभार संहित होंगे।
  - (10) सभी संवेदकों के निविदा में प्रयुक्त कागजातों/बैंक गारन्टी का आवश्यकतानुसार जाँच करायी जायेगी। यदि किसी प्रकार की विसंगति पायी जाती है तो उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- जो निविदादाता जिस खण्ड में निविदा देना चाहते हैं वे मात्र उसी खण्ड की निविदा देंगे न की सभी खण्डों का।

6.1.15



**खण्ड "क"**

**वित्तीय वर्ष 2016-17**

1. माध्यम उसना चावल (प्रति किलो) —बिहार राज्य खाद्य निगम से प्राप्त नहीं होने पर
2. अरवा चावल (खीर के लिए)
3. गैहूँ सफेद (बनावन रहित)(प्रति किलो) —बिहार राज्य खाद्य निगम से प्राप्त नहीं होने पर
4. चना (प्रति किलो)
5. चना का सत्तु (प्रति किलो,निर्माणशाला से प्राप्त नहीं होने पर)
6. अरहर दाल (प्रति किलो)
7. मूसूर दाल (प्रति किलो)
8. चना\*दाल (प्रति किलो)
9. पीली चक्की गुड़ ( प्रति किलो आवश्यकतानुसार)
10. चाय पत्ती (गोल दाना)(प्रति किलो)
11. चीनी(प्रति किलो)
12. दुग्धचूर्ण (प्रति किलो)— तरल दुग्ध सुधा डेयरी से प्राप्त नहीं होने पर
13. पनीर ( प्रति किलो)—सुधा डेयरी से प्राप्त नहीं होने पर
14. दही (प्रति किलो )—सुधा डेयरी से प्राप्त नहीं होने पर
15. काबुली चना (प्रति किलो)
16. मुर्गा का मांस (प्रति किलो) (कारा हाता में काटकर)
17. मंछली ( रेहू काटकर बनावन रहित)(प्रति किलो)
18. ब्रेड(निर्माणशाला से प्राप्त नहीं होने पर) प्रति किलो ग्राम
19. सरसों तेल (धारा ब्राण्ड, प्रति लीटर निर्माणशाला से प्राप्त नहीं होने पर )
20. रिफाइन (फरचून/नेचर फ्रेश प्रति लीटर)
21. कोयला स्टीम ग्रेड-II (प्रति किलो) (कोल डस्ट वजन से 3% घटौती कर)
22. जलावन लकड़ी (प्रति किलो)
23. चना का भुंजा(निर्माणशाला से प्राप्त नहीं होने पर)
24. अंकुरित अनाज (चना/मूंग अलग-अलग) प्रति किलो ग्राम

**खण्ड "ख"**

**दिनांक- 01.04.2016 से 30.06.2016 (प्रथम त्रैमासिक) तक के लिए हरी सब्जी एवं फल (दर प्रति किलो में देना होगा)**

1. भिण्डी, 2. कटहल (छिलका 5% बाद), 3. बैंगन, 4. कद्दू, 5. करैला, 6. लाल साग, 7. पालक साग, 8. सेम, 9. कदीमा
10. नेनुआ, 11. झिगुनी, 12. टमाटर, 13. बोड़ा, 14. कच्चा, 15. परवल, 16. पक्का केला (प्रति दर्जन), 17. कागजी नींबू (मध्यम आकार का), 18. सेब, 19. संतरा, 20. मुर्गी का अण्डा (प्रति नग), 21. आलू (आठ सूत से कम नहीं), 22. सूखा प्याज
23. खीरा

**दिनांक- 01.07.2016 से 30.09.2016 (द्वितीय त्रैमासिक) तक के लिए हरी सब्जी एवं फल (दर प्रति किलो में देना होगा)**

1. भिण्डी, 2. कटहल (छिलका 5% बाद), 3. बैंगन, 4. कद्दू, 5. करैला, 6. लाल साग, 7. पालक साग, 8. कन्द्या, 9. कदीमा
10. नेनुआ, 11. झिगुनी, 12. कुन्दरी, 13. कच्चा, 14. परवल, 15. पक्का केला (प्रति दर्जन), 16. कागजी नींबू (मध्यम आकार का), 17. सेब, 18. संतरा, 19. मुर्गी का अण्डा (प्रति नग), 20. आलू (आठ सूत से कम नहीं), 21. सूखा प्याज। 22. खीरा

**दिनांक- 01.10.2016 से 31.12.2016 (तृतीय त्रैमासिक) तक के लिए हरी सब्जी एवं फल (दर प्रति किलो में देना होगा)**

1. फुल गोभी (डन्टल रहित), 2. बंधा गोभी (डन्टल रहित), 3. बैंगन, 4. कद्दू, 5. करैला, 6. लाल साग, 7. पालक साग, 8. कच्चा, 9. कदीमा, 10. नेनुआ, 11. सेम, 12. टमाटर, 13. भिन्डी, 14. बोड़ा, 15. मूली (पत्ता रहित), 16. पक्का केला (प्रति दर्जन), 17. कागजी नींबू (मध्यम आकार का), 18. सेब, 19. संतरा, 20. मुर्गी का अण्डा (प्रति नग), 21. आलू (आठ सूत से कम नहीं), 22. सूखा प्याज। 23. खीरा

6-118



दिनांक- 01.01.2017 से 31.03.2017 (मासिक/त्रैमासिक) तक के लिए हरी सब्जी एवं फल (दर प्रति किलो में देना होगा)

पृष्ठ संख्या 04

1. फुल गोभी (डन्टल रहित), 2. बंधा गोभी (डन्टल रहित), 3. बैंगन, 4. कद्दू, 5. करैला, 6. लाल साग, 7. पालक साग, 8. कच्चा, 9. कदीमा, 10. टमाटर, 11. बोड़ा, 12. पत्ता (पत्ता रहित), 13. पक्का केला (प्रति दर्जन), 14. कागजी नींबू (मध्यम आकार का), 15. सेब, 16. संतरा, 27. मुर्गी का अण्डा (प्रति नग), 18. आलू (आठ सूत से कम नहीं), 19. सूखा प्याज। 20. खीरी

खण्ड "ग"

दिनांक- 01.04.2016 से 31.03.2017 तक-

1. हल्दी (हिरोट) (प्रति किलो), 2. नमक (आयोडिन युक्त टाटा/अनपूर्णा)(प्रति किलो), 3. लाईफब्यॉय साबुन (100 ग्राम)(प्रति नग), 4. नारियल तेल (पैरासूट) (100 ml पैकेट), 5. दतवन (नीम या बबूल का)(प्रति सैकड़ा), 6. मिर्चा (सूखा लाल)(प्रति किलो), 7. धनिया (सूखा)(प्रति किलो), 8. जीरा(प्रति किलो), 9. गोलकी (प्रति किलो), 10. अदरक (प्रति किलो), 11. लहसून (प्रति किलो), 12. आमघूर (प्रति किलो), 13. इमली (प्रति किलो), 14. चूड़ा (प्रति किलो), 15. तिलकूट (प्रति किलो), 16. गेहूँ पिसाई (जलती रहित कारा गोदाम से ले जाने तथा पिसा कर वापस लाने का खर्च सहित प्रति किलो), 17. गरम मशाला 18. रुस मटर 19. सरसों 20. गेहूँ का आटा 21. सेबई 22. मैदा 23. सूजी 24. मिर्च पाउडर 25. सोयाबीन बड़ी 26. तीसी का तेल 27. नोमबत्ती 28. नारियल रस्सी (प्रति किलो), 29. सूतली (प्रति किलो), 30. पटुआ (प्रति किलो), 31. नारियल झाड़ू (प्रति किलो), 32. बॉस की टोकरी प्रति नग, 33. ड्रेन ब्रश(प्रति नग), 34. ताड़ का पंखा (प्रति नग), 35. लोहे का पतला तार (प्रति किलो), 36. बॉस का सूप (प्रति नग), 37. बॉस का डगरा (प्रति नग), 38. ताड़ की चटाई (प्रति नग), 39. लालटेन शीशा (प्रति नग), 40. लालटेन फीता (प्रति मीटर), 41. कली घूना (प्रति किलो), 42. गेरू मिट्टी (प्रति किलो), 43. रामरस मिट्टी (प्रति किलो), 44. ब्लीचिंग पाउडर (प्रति किलो), 45. मिट्टी का घड़ा (प्रति नग 10 लीटर का), 46. घड़ा का डक्कन (प्रति नग), 47. खाली टीन (बड़ा प्रति नग), 48. खाली डिब्बा (दो किलो का प्रति नग), 49. बॉस बड़ा (प्रति नग), 50. भीम पाउडर (प्रति किलो), 51. यॉसिंग ऐसिड (प्लास्टिक के बोतल में प्रति लिटर), 52. फिनाईल गोली (प्रति किलो) 53. बैटो (एवेरेडी 1050 Heavy duty) प्रति नग, 54. बिजली का बल्ब 100 वॉट (फिलिप्स का) (प्रति नग), 55. बिजली का बल्ब 200 वॉट (फिलिप्स का) (प्रति नग), 56. बिजली का तार (3/20 प्रति मीटर), 57. बिजली का तार (40/76 प्रति मीटर), 58. बिजली का तार 4 एम0एम0 (प्रति मीटर), 59. बिजली का तार 6 एम0एम0 (प्रति मीटर), 60. बिजली का तार 8 एम0एम0 (प्रति मीटर), 61. बिजली का तार 1 एम0एम0 (सभी तार एंकर का प्रति मीटर), 62. बल्ब होल्डर (प्रति नग), 63. फिनीट तेल/बेगॉन तेल (प्रति लीटर), 64. स्प्रे पम्प (प्रति नग), 65. सी0एफ0एल0 18 एवं 45 वॉट (फिलिप्स प्रति नग), 66. धीन पेपर (प्रति पैकेट), 67. सादा कागज (प्रति जिस्ता), 68. कार्बन (कोरस प्रति 100 नग का पैकेट), 69. रजिस्टर एक जिस्ता, दो जिस्ता तीन जिस्ता एवं चार जिस्ता (प्रति नग), 70. टैग (50 नग का प्रति गुच्छा), 71. गोट 750 एम0एल0 कैमल का, 72. पलेट फाईल (प्रति नग), 73. लिफाफा 4" X 8" एवं 4" X 5" (प्रति सैकड़ा), 74. स्टाम्प पैड, (प्रति नग), 75. पैड इक (प्रति नग), 76. पेपर पीन (प्रति पैकेट), 77. छोटी कॉपी (प्रति नग), 78. छाता (के0सी0 पाल का प्रति नग), 79. लालटेन (प्रति नग), 80. लालटेन बर्नर (प्रति नग), 81. दिया सलाई (प्रति पैकेट), 82. कम्प्यूटर पेपर A4 (Century) (प्रति 500 नग का पैकेट), 83. कम्प्यूटर पेपर Legal (Century) (प्रति 500 नग का पैकेट), 84. कम्प्यूटर का HP Laser Jet Printer Cartridge 12A (प्रति नग), 85. कम्प्यूटर का HP Laser Jet Printer Cartridge 88 (प्रति नग), 86. Colour Ink Jet Printer Cartridge NO- 21 (प्रति नग), 87. Colour Ink Jet Printer Cartridge NO- 22 (प्रति नग), 88. एल0ई0डी0 बल्ब 7 वाट, 9 वाट, 12 वाट, 15 वाट, 18 वाट, 90- एल0ई0डी0स्ट्रीट लाइट (ट्रैकेट सहित) 89. सर्फ/डिटरजेन्ट पाउडर) (50 gms पैकेट) 90. शैम्पू (20 ml पैकेट) (सिर्फ महिला बंदी के लिए )

अधीक्षक

मंडल कारा, सीतामढ़ी

6/1/16

06-01-16